

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम अरवड तहसील फुलियाकलां

प्रकरण संख्या - 59/2021

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

1 कमलादेवी पत्नि रामचन्द्र रेगर उम्र वयस्क निवासी देवलियाकलां तहसील गिनाम जिला अरवड (पत्नी)

उनवान

वनाम

- 1 रतन पिता प्रेमा उर्फ पेमा भील उम्र वयस्क निवासी गैरुखेडा तहसील हूरडा जिला भीलवाड़ा
- 2 केसीदेवी पत्नि प्रेमा उर्फ पेमा भील उम्र वयस्क निवासी गैरुखेडा तहसील हूरडा जिला भीलवाड़ा
- 3 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

(अप्रीमप)

उपस्थित-

प्रार्थी स्वयं

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 28.11.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 24.06.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम पुरानी राज्यास पटदार मण्डल अरवड पेडा मू.अ. नि. अरवड तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 28 के आ.न. 10 रकबा 1.18 हेक्टर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण उक्त वर्णित आराजीयात के पड़ौसी/सहखातेदार हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 28.06.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं आये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम अरवड दिनांक 26.11.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत महसूस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

सहायक न्यायिक अधिकारी
फुलियाकलां (राज.)

आदेश


प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर बाके ग्राम पुरानी राज्यास पटवार मण्डल अरवड पेटा भूअ.नि. अरवड तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतीनी संख्या 28 के आ.न. 10 रकबा 1.18 हेक्टर भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजियात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम अरवड के खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक (राजकेशु मोना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
रूप ख जिला भीलवाड़ा
फुलिया कला (भा.व.)

प्रतिलिपि-

- 1 तहसीलदार फुलियाकला को पालनार्थ प्रेषित है।


सहायक उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
रूप ख जिला भीलवाड़ा
फुलिया कला (भा.व.)